

बटाई वाली खेती पर उश्र

उश्र वाली जिन ज़मीनों में बटाई पर खेती की जाती है, उनकी पैदावार पर उश्र वाजिब होने के बारे में भी छोटे सेमिनार में ग़ौर किया गया, और यह नतीजा निकाला कि:

1- अगर ज़मीन का मालिक और बटाईदार दोनों मुसलमान हैं तो दोनों पर अपने अपने हिस्से के अनुसार उश्र वाजिब होगा।

2- अगर ज़मीन का मालिक मुसलमान हो और बटाईदार ग़ैर मुस्लिम हो तो मालिक पर अपने हिस्से के हिसाब से उश्र लागू होगा।

☆☆☆